संख्या:26/2026/394/कृशिअ-67-1099/151/2024

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2026**

विषय:- आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना अवशेष अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/01/पी0एस0-वी0सी0/2026 /640, दिनांक 21.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना अवशेष अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्नगत परियोजना में शासनादेश संख्या:3138937(1)/2025/कृशिअ-67-1099/151/2024, दिनांक 18.03.2025 द्वारा रू0 190.00 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत धनराशि के सापेक्ष रू0 153.00 लाख ही कोषागार से आहरित कर व्यय की गयी। अवशेष धनराशि (190.00-153.00) रू0 37.00 लाख कोषागार से आहरित न होने के कारण समर्पित की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू.900.00 लाख के सापेक्ष रू0 37.00 लाख (रूपये सैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या:3138937(1)/2025/कृशिअ-67-1099/151/2024, दिनांक 18.03.2025 द्वारा में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ए.आई.सी.टी.ई.के मानक, गुणवत्ता व उपादेयता के अनुसार टिश्यूकल्चर लैब इक्यूपमेंट, उपकरण आदि का क्रय किया जायेगा।
3. प्रश्नगत प्रायोजना में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा शासन स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
4. प्रश्नगत टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोग प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी परियोजना में धनराशि का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।